न्यायालय– वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, फतेहपुर, जिला–सीकर (राज.)

मूलचन्द बनाम गुलाम रब्बानी व अन्य

दीवानी विविध प्र० (सी.आई.एस. नं.– 13/2023)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिएल्स जज	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.04.2026	प्रार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री मुकेश भातरा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व 5/1 के विद्वान् अधिवक्तागण सर्वश्री रजनीश महला व पंकज शर्मा उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही है। इस अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु न्यायालय को निम्न तीन बिंदुओं पर अपना विनिश्चय देना है:– **1– प्रथम दृष्ट्या मामला।** **2– सुविधा का संतुलन।** **3– अपूर्णीय क्षति।** इन उपरोक्त बिंदुओं पर न्यायालय का विनिश्चय क्रमवार निम्नानुसार है। **1– प्रथम दृष्ट्या मामला:–** दोनों पक्षों को सुने जाने के पश्चात् इस सम्बन्ध में न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि प्रार्थी ने इस अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध विक्रय इकरारनामा दिनांकित 08.08.2022 की विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु प्रस्तुत किया है और इसका आधार यह अभिवचित किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में अपना 1/8 हक हिस्सा तीन लाख रूपये प्रतिफल तय कर 1,80,000/– रूपये प्रार्थी से प्राप्त कर यह इकरारनामा प्रार्थी के पक्ष में कब्जा सुपुर्द करते हुये निष्पादित किया है, परन्तु प्रार्थी के बार–बार निवेदन करने पर भी विक्रय पत्र पंजीकृत नहीं करवा रहा है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से यह तर्क रहा है कि उसने प्रार्थी के पक्ष में कोई इकरारनामा निष्पादित नहीं करवाया है। यह दस्तावेज प्रार्थी द्वारा अपने साथी राहुल के पक्ष में करवाये गये विक्रय पत्र या अन्य कागजात के साथ अप्रार्थी संख्या 1 के अनपढ होने का अनुचित फायदा उठाते हुये बिना जानकारी दिये निष्पादित करवाया है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 के विद्वान् अधिवक्ता ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है। निर्विवादित रूप से प्रार्थी संख्या 1 ने विवादित विक्रय इकरारनामा दिनांकित 08.08.2022 पर अपने हस्ताक्षर	

होना स्वीकार किया है, अब ये हस्ताक्षर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत भूमि के विक्रय करने के संव्यवहार की जानकारी रखते हुये किये गये हैं या प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के अनपढ होने का फायदा उठाकर करवाये गये हैं, यह इस प्रकरण में एक विचारण योग्य सद्भाविक प्रश्न अन्तरवल्लित है, जिसका निस्तारण मूल वाद में उभय पक्ष की साक्ष्य अभिलिखित कर निर्णय के माध्यम से ही किया जाना सम्भव है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

2 व 3– सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षतिः–

सुविधा की दृष्टि से व दौहराव को रोकने के लिए इन दोनों बिंदुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। उपरोक्त विवेचनानुसार चूंकि प्रथम दृष्टया मामला उक्तानुसार प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया गया है। और अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रश्नगत विक्रय इकरनामा दिनांकित 08.08.2022 पर अपने हस्ताक्षर होना माना है। इस कारण यदि इस विक्रय अनुबंध की भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अन्यत्र विक्रय कर दिया जाता है तो इससे प्रकरण में प्रतिपक्षी को ही तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा व अपूर्णीय क्षति होगी, क्योंकि उसे ऐसे पश्चातवर्ती अन्तरिती के विरूद्ध ना चाहते हुये भी मुकदमेंबाजी में रत होना पड़ेगा, जिससे प्रकरण में वाद बाहुल्यता व अनावश्यक पेचिदगियाँ उत्पन्न होंगी। इस कारण ये दोनों बिन्दु भी उक्तानुसार आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में बनना पाये जाते है।

चूंकि उपरोक्त तीनों बिंदु उपरोक्तानुसार प्रार्थी के पक्ष में तय किये गये हैं। इस कारण प्रार्थी की अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना निम्नानुसार स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती हैं।

आदेश

फलतः प्रार्थी/मूलचन्द की ओर से प्रस्तुत हस्तगत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी व सपठित धारा 151 सीपीसी विरूद्ध अप्रार्थीगण गुलाम रब्बानी व अन्य स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को ता फैसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह प्रश्नगत अनुबन्ध दिनांकित 08.08.2022 की विवादित भूमि को किसी भी दीगर व्यक्ति को किसी भी प्रकार से रहन व अन्तरित नहीं करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रकरण पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं

	है। अतः पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल–वाद रहे। **(अजय कुमार पूनिया)** वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश फतेहपुर, जिला सीकर।	